<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सं. - 303/2023

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

01- मोतीलाल पुत्र पूरीलाल, निवासी-सागोड़िया, पुलिस थाना भालता,

02- चंद्रसिंह पुत्र रामकिशन, निवासी-मोठपुरिया, पुलिस थाना भालता(मफरूर दिनांक 16.03.2026)

03- मुकेश पुत्र घनश्याम, निवासी-सागोड़िया, पुलिस थाना भालता जिला झालावाड़

अभियुक्तगण....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 146/196 एमवी एक्ट</u>

<u>उपस्थितिः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री भागचन्द मीना, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः-17-03-2026

01- उक्त प्रकरण में अभियुक्त चंद्रसिंह पुत्र रामकिशन, निवासी मोठपुरिया, पुलिस थाना भालता को दिनांक 16.03.2026 को मफरूर घोषित किया गया है। अतः उक्त प्रकरण में शेष अभियुक्तगण मोतीलाल व मुकेश के संबंध में ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

02- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा, झालावाड की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 146/196 एमवी एक्ट का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए न्यायालय हाजा में दिनांक 13-04-2023 को पेश किया गया।

03- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23-03-2022 को रमेशचंद एएसआई ने मय जाप्ता दौराने गश्त मौजा खोखेड़ा खाल के पास आम रोड़ पर दौराने नाकाबन्दी बोलेरो पिकअप संख्या आर.जे. 17 जी.ए 4265 को रोककर चैक करने पर उसमें से 5 गोवंश अवैध रूप से ठूंस ठूंसकर भरे हुये बिना अनुज्ञापत्र के परिवहन करते हुये पाये गये, जिस पर उक्त गोवंश को व वाहन को जप्त किया तथा चालक व परिचालक को गिरफ्तार किया।, इत्यादि।

04- वापसी पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 207/2022 अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 146/196

एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

05- बहस चार्ज सुनी गई तथा अभियुक्तगण को धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 146/196 एमवी एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

06- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 मनोज कुमार, पी.डब्ल्यू. 02 रविन्द्र, पी.डब्ल्यू. 03 चेतराम को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 05 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

07- अभियोजन साक्ष्य बन्द की गई तथा अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

08- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

09- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है, समस्त साक्षीगण एक ही विभाग के हैं। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण किसी भी प्रकार से घटना में लिप्त नहीं है और न ही उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य है। उसे मिथ्या संलिप्त किया गया है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

11- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

> 1- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23-03-2022 को समय 09.20 ए.एम. के लगभग मौजा खोखेड़ा खाल के पास आम रोड़ पर, अकलेरा में श्री रमेशचंद एएसआई ने मय जाप्ता दौराने नाकाबन्दी अभियुक्त के कब्जेशुदा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 17 जी.ए 4265 के अन्दर 5 गोवंश बछड़े क्षमता से अधिक ठसाठस भरी हुई बरामद की, को अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञापत्र के वध के प्रयोजन से परिवहन कर ले जाया जा रहा था तथा स्वयं के स्वामित्वशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 17 जी.ए 4265 से यह जानकारी होते हुए कि उक्त वाहन का बीमा नहीं है, परिवहन करवाया जा रहा था। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश

अधिनियम 1995 व धारा 146/196 एमवी एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया ?

12- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल तीन गवाहान परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें से सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू. 01 मनोज कुमार है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 01 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि मौक पर वाहन में कोई व्यक्ति नहीं मिला था और न ही संबंधित व्यक्ति के दस्तावेज व वाहन के दस्तावेज मिले थे। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार के बैल अमुमन काश्तकारी खेती के लिए काम में लेते हैं। पिकअप में बैलों के कोई चोटें नहीं आ रही थी।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रविन्द्र है जो कि मुल्जिमान की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 03 लगायत पी. 05 का गवाह है। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 चेतराम है। उक्त गवाह फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 01 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जिस वाहन को उन्होंने मौके पर जप्त किया था उसमें मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला था। जब वे मौके पर गए उसी समय मुल्जिम गाड़ी छोड़कर भाग गया था। मौके पर वाहन में वाहन के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तोवज नहीं मिले थे। घटनास्थल आम रोड़ है जहां कई वाहनों का आवागमन रहता है। पिकअप में बछड़े खुले अवस्था में थे। सभी बछड़ों के कोई चोटें नहीं थी, स्वस्थ थे। घटना के करीब चार दिन बाद घटना का नक्शा मौका अनुसंधान अधिकारी ने बनाया था। उस दिन भी स्वतंत्र गवाह देखे थे, बुलाने के प्रयास किए थे लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ।

14- इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उजागर हुआ है कि मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला और ना ही वाहन के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज मिले थे। घटनास्थल आम रोड़ होने के बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए गए। इसके अतिरिक्त सभी गवाहों ने स्वीकार किया है कि पिकअप में मौजूद बैलों और बछड़ों के कोई चोटें नहीं थी, स्वस्थ थे। जप्ती से संबंधित गवाह ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार के बैल अमुमन काश्तकारी खेती के लिए काम में लेते हैं। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिमान द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

15- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने से अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 146/196 एमवी एक्ट में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

16- अतः अभियुक्तगण 01- मोतीलाल पुत्र पूरीलाल, निवासी-सागोड़िया, पुलिस थाना भालता, 02- मुकेश पुत्र घनश्याम, निवासी-सागोड़िया, पुलिस थाना भालता जिला झालावाड़ को धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 146/196 एमवी एक्ट के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं0प्र0सं0 के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

18- निर्णय आज दिनांक 17-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.17 04:32:46 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।